न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/172(प्राथमिक डिक्री) **दायरा दिनांक : 11.10.2023**

उनवान

जानकी बाई पुत्री प्रताप, आयु 54 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां व हाल निवासी दुर्जनपुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल, आयु 44 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/173 (फाइनल डिक्री) **दायरा दिनांक : 11.10.2023**

उनवान

जानकी बाई पुत्री प्रताप, आयु 54 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां व हाल निवासी दुर्जनपुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल, आयु 44 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/174 (काउंटर क्लेम) **दायरा दिनांक : 11.10.2023**

उनवान

जानकी बाई पुत्री प्रताप, आयु 54 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां व हाल निवासी दुर्जनपुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल, आयु 44 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 21.04.2025**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ये तीनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये तीनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 77/2009 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 12.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

तीनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रीठौद, तहसील बारां हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.08 हेक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 18 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.96 हेक्टर, खसरा नम्बर 30 रकबा 1.59 हेक्टर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.91 हेक्टर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.76 हेक्टर कुल 8 किता कुल रकबा 4.98 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 12.03.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/172(प्राथमिक डिक्री) एवं 2023/174(काउंटर क्लेम) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री वाद एवं प्रतिदावा के तथ्यों साक्ष्यों से असंगत एवं विधि एवं प्रक्रिया विधि के प्रावधानों के विपरीत विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट एवं उसके गवाहान की साक्षी की विधिसम्मत विवेचना किये बिना ही विवाद्यकों का विनिश्चय करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू विवाह अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को अनदेखा कर अपीलान्ट का प्रतिदावा निरस्त कर रेस्पोडेन्ट क्रम 01 का वाद स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री साम्या न्याय एवं असद्भाविक, विधि विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट के प्रतिदावे के तथ्यों को रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि कन्हैयालाल मेरे पिता हैं और भूली बाई मेरी माता है, मेरी माता भूली बाई का कन्हैयालाल जी से तलाक नहीं हुआ। प्रताप की मृत्यु 1993 मे हुई है, मेरे पिता एवं मेरी माता भूली बाई के पति कन्हैयालाल की मृत्यु 2008 में हुई है। मृतक पिता कन्हैयालाल से मुझे 1/5 हक हिस्सा उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ है उक्त तथ्यो से स्वमेव सिद्ध है कि भूली बाई का उसके पति कन्हैयालाल से तलाक नहीं हुआ। इस कारण भूली बाई प्रताप के साथ एक रखेल के रूप में साथ रही, इस कारण मृतक प्रताप की पैतृक सम्पति की एकमात्र उत्तराधिकारी एवं वारिस अपीलान्ट पुत्री जानकी बाई होते हुए भूली बाई के पक्ष मे सम्भाग तस्दीक किया गया, नामान्तरण संख्या 19 अवैध एवं शून्य दस्तावेज होने से अपीलान्ट के पैतृक आराजी में विरासतन प्राप्त हक हकूको के विरूद्ध होने से अपीलान्ट को सम्पूर्ण विवादित आराजियात की एकमात्र खातेदार घोषित न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रतिदावा निरस्त करने मे

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विधि एवं तथ्य की भारी भूल की है। अस्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री विधि एवं साम्या न्याय के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे के तथ्य एवं साक्ष्यों को खण्डित करने मे असफल होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के वाद को स्वीकार करने एवं अपीलान्ट के प्रतिदावे को निरस्त करने में हिन्दू विवाह एवं उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। नामान्तरकरण प्रक्रिया फिजिकल प्रोसेसर है नामान्तरकरण से किसी भी व्यक्ति को वैधानिक स्वामित्व प्राप्त नहीं होता रेस्पोडेन्ट क्रम 01 अपनी माता भूली बाई को मृतक प्रताप की विवाहिता धर्म पत्नि अपने साक्ष्य से सिद्ध करने में असफल रहा है। अपीलान्ट ने प्रतिदावे के तथ्य एवं विवाद्यकों को अपनी एवं अपने गवाहान के साक्ष्य से पूर्णतया सिद्ध एवं साबित करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का वाद निरस्त कर अपीलान्ट का प्रतिदावा स्वीकार न कर विधि, साम्या, न्याय, एवं विधि प्रक्रिया व निर्णय विधि एवं प्रावधानों से असंगत विधि विरूद्ध निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करने में विधि की भूल की है अस्तु निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा एवं प्रतिदावे के तथ्यों के आधार पर विरचित विवाद्यक संख्या 02 व 03 को अपीलान्ट ने अपनी तथा अपने गवाहान के साक्ष्य एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की जिरह से पूर्ण रूपेण सिद्ध एवं साबित करने में सफल रहने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त न कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे को विधि एवं साम्या, न्याय एवं सद्भाव के आधार पर विधिवत स्वीकार न करने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 यथावत रहने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध वाद स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 77/2009 बउनवान भगवान लाल बनाम जानकी बाई वगैराह के वाद में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 को अपास्त करने की डिक्री पारित फरमावें।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रतिदावे के आधार पर बनाये गये विवाद्यक संख्या 2 व 3 को सिद्ध करने का भार अपीलान्ट पर था। अपीलान्ट ने प्रतिदावे के तथ्यों को हिन्दू विवाह अधिनियम एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होना सिद्ध किया है कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की माता भूली बाई कन्हैयालाल की विवाहित धर्म पत्नि है जिसका कन्हैयालाल से तलाक नहीं हुआ इस कारण भूली बाई मृतक प्रताप की पत्नि न होकर एकमात्र रखेल होना अपीलान्ट ने अपनी एवं अपने गवाहान के साक्ष्य पूर्ण साबित किया है। रखेल को मृतक प्रताप की पैतृक जमीन जायदाद में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा मृतक प्रताप का फौती नामान्तरकरण संख्या 19 भूली बाई के नाम तस्दीक किया है जो अवैध एवं शुन्य के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यक संख्या 2 को यह कहकर की अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 19 की अपील पेश नहीं की इस कारण विवाद्यक संख्या 2 को अपीलान्ट विरूद्ध निर्णित करने में तथ्य एवं विधि की भारी भूल की है। अस्तु निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या 2023/173 (फाइनल डिक्री) के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सख्या 77/2009 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 के पूर्व से अपीलान्ट कोविड़ महामारी से पीड़ित होने के कारण अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में नहीं थी। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा तैयार किया विभाजन प्रस्ताव की भी अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गयी, हल्का पटवारी व रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने मिलीभगत से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया, हल्का पटवारी विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु वैधानिक अधिकारी नहीं होते हुये भी हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव बाबत् अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को सूचित किये बिना राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 में अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अवैधानिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 को पारित की गयी है, जो निरस्तनीय है।

प्रारम्भिक डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 02 ने हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.03.2022 को तैयार करवाया, हल्का पटवारी ने राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यु नियम) 1955 के नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की अवेहलना कर अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है, उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव बाबत् अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव से अवगत करवाये बिना अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में पारित किया गया निर्णय एवं अन्तिम डिक्री विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट क्रम 02 तहसीलदार बारां ने अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता को सूचना दिये बिना हल्का पटवारी से तैयार करवाये गये विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाया है। हल्का पटवारी को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का अधिकार नहीं होने से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.03.2022 विधि के प्रावधानों के विरूद्ध मनमाना होने से निरस्तनीय है। हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अन्तिम डिक्री पारित नहीं कर सकता। उक्त तथ्यों एवं विधि के प्रावधानों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये बिना ही अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को उक्त पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे रखे जाने की सूचना दिये बिना ही वाद पत्रावली को अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णित कर डिक्री करने में विधि की भूल की है। राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद एवं कार्यवाहियों का निस्तारण आपसी सहमति से होता है। उक्त पत्रावली को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने बाबत् पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं है और न ही अपीलान्ट को सूचना दी। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री प्राकृतिक न्याय के सूचना एवं सुनवाई के आज्ञापक प्रावधानों से असंगत होने से निरस्तनीय है। विभाजन प्रस्ताव में किया गया विभाजन पक्षपात पूर्ण है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने रेस्पोडेन्ट क्रम 02 से मिली–भगत कर अच्छी एवं उपजाऊ भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को विभाजन में दिया है। घटिया एवं भरेल आराजी को अपीलान्ट के हिस्से मे दिया गया है। रेस्पोडेन्ट क्रम 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में उक्त वाद के निस्तारण किये जाने की सूचना अपीलान्ट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाट पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री विधि विरूद्ध एव प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध वाद स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 77/2009 बउनवान भगवान लाल बनाम जानकी बाई वगैराह के वाद में पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 को अपास्त करने की डिक्री पारित फरमावें।

अतः तीनों अपीले पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रतिदावा स्वीकार कर माननीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा वाद संख्या 77/2009 बउनवान भगवान लाल बनाम जानकी बाई वगैराह के प्रतिदावे में पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 एवं फाइनल डिक्री दिनांक 12.03.2022 को अपास्त करने की डिक्री पारित फरमावें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.07.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

तीनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी का काउंटर क्लेम खारिज किया है। अपीलांट के पिता प्रताप के 4.98 हेक्टर आराजी खाते में दर्ज थी। प्रताप के एक मात्र पुत्री जानकीबाई थी। जानकीबाई के बचपन में भूलीबाई को केयरटेकर के रूप में रखा था। नामान्तरकरण में भूलीबाई को पत्नी बताकर 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया। 1/2 हिस्सा भगवान पुत्र कन्हैयालाल को रजिस्टर्ड बेचान किया। भगवान कन्हैयालाल व भूली का पुत्र है। नामान्तरकरण संख्या 19 जिसमें भूली को प्रताप की पत्नी बताकर 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। जानकी सम्पूर्ण आराजी की एकमात्र वारिस है। एकमात्र भूलीबाई का नाम गलत दर्ज हुआ है। सम्पूर्ण आराजी के लिए काउंटर क्लेम पेश किया था। धारा 5(1) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 – वैध पत्नी–पति के जीवित रहत दूसरे पति की आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। कन्हैयालाल की मृत्यु सन् 2008 में हुई है। भूली का नाम गलत दर्ज हुआ है, कन्हैयालाल की पत्नी है तलाक नहीं हुआ था। भूली प्रताप की विवाहित पत्नी नहीं थी। नामान्तरकरण संख्या 19 शून्य है। जानकी बाई सम्पूर्ण आराजी की खातेदार घोषित होने की अधिकारी है। अतः प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज कर काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में हमने दावा किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.09.2009 तक कोई कार्यवाही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय ने भूलीबाई के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की। भूलीबाई ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 06.03.2002 से वादग्रस्त आराजी का बेचान किया इसे भी चुनौती नहीं दी गई। हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था जिसमें दिनांक 23.06.2010 में जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पहली बार प्रस्तुत किया, जिसमें 2010 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया है। तनकी नम्बर 2, प्रतिवादी ने सिद्ध नहीं की, इसी आधार पर काउंटर क्लेम अस्वीकार हुआ। जानकीबाई की मां सुरजा की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी भूली से नाता प्रथा से विवाह हुआ। हमने वादग्रस्त आराजी कय की है विरासत में आराजी प्राप्त नहीं हुई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने काउंटर क्लेम की बहस में कथन किया कि घर में केवल केयरटेकर की हैसियत से रही है। पूर्व पत्नी से विधिवत तलाक लिये बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान अपने बयान में स्वयं कह रहा है कि मेरी मां मेरे पिता के जीवनकाल में ही प्रताप के यहां रहने लग गई थी। प्रताप की एकमात्र वारिस होने से घोषणा का दावा कराने की कोई समय सीमा नहीं है। बंटवारा प्रस्ताव पर हमें सूचना नहीं दी गई, हमें आपत्ति पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी ने जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है वह विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं। बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है. अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में ए. आई.आर. 1988 एस.सी. पेज 644, डी.एन.जे. 2021 राजस्व पेज 721, डी.एन.जे. 2021 (1) राजस्व पेज 258, डी.एन.जे. 2023 (1) राजस्व पेज 754, डी.एन.जे. 2023 (1) राजस्व पेज 1 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने काउंटर क्लेम की बहस में कथन किया कि आर्डर 41 नियम 27 में हमने एफ.आई.आर. की प्रति पेश की है। खसरा नम्बर 30 में 1/2–1/2 हिस्सा दिया है यह सम्पूर्ण हिस्सा रखना चाहते हैं। फाईनल डिक्री सही पारित की है। अतः अपील खारिज की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीले समान प्रकृति के होने के कारण हम प्रस्तुत तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से एक साथ करना उचित समझते हैं।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 ने अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत कर जमाबंदी सम्वत 2062–65 प्रदर्श 1 की खाता संख्या नयी 11 की कुल किता 8 रकबा 4.98 हेक्टर आराजी में दर्ज अपना 1/2 हिस्सा वादी के नाम पृथक खाते दर्ज करने हेतु बंटवारे का दावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात तनकीवार विवेचन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया है तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि नामान्तकरण संख्या 19 ग्राम रीठोद मे मृतक प्रताप के पारिवारिक सजरा से यह स्पष्ट होता है कि जानकी बाई पुत्री भूलीबाई बेवा थी। मृतक भूली बाई द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2000 से अपने हिस्से की आराजी भगवान लाल पुत्र कन्हैयालाल, जाति धाकड़, निवासी रीठोद को बेचान की गई थी। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वाद पत्र में काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर मृतक भूली बाई को मृतक प्रताप की रखैल होना बताया है। परन्तु प्रतिवादिया जानकी बाई द्वारा मृतक प्रताप के फोती नामान्तकरण संख्या 19 को खारिज करने के लिए सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की है, और ना ही प्रतिवादिया द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त कराने की कार्यवाही माननीय सिविल न्यायालय में पेश की गई। वादी द्वारा अपने हिस्से की आराजी का पृथक–पृथक विभाजन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया, तब प्रतिवादिया द्वारा काउन्टर क्लेम पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहती है। यदि प्रतिवादिया क्रम 1 को सम्पूर्ण भूमि अपने खाते दर्ज करवाना चाहती तो सबसे पहले नामान्तकरण संख्या 19 को चैलेन्ज/खारिज कराने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। जो प्रतिवादिया द्वारा नहीं की गई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल नामान्तरकरण संख्या 19 प्रदर्श ए 1 के अनुसार विवादित आराजी के खातेदार प्रताप की मृत्यु के बाद प्रताप का फोती नामान्तरकरण जानकीबाई पुत्री प्रताप व भूलीबाई बेवा प्रताप के नाम दर्ज होना प्रस्तुत

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नकल नामान्तरकरण संख्या 19 से स्पष्ट है। यह नामान्तरकरण दिनांक 04.01.1994 को तस्दीक हुआ है। इसे खारिज कराने हेतु अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तु.. नहीं की गई है। इस नामान्तरण से विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा भूलीबाई के नाम दर्ज होने पर भूलीबाई ने बतौर खातेदार अपने 1/2 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2000 को वादी के पक्ष में निष्पादित करने पर वादी रेस्पोडेंट का नाम विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। इस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारिज करने हेतु अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट का काउंटर क्लेम खारिज कर वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने से हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 2023/172 (प्राथमिक डिक्री) एवं अपील संख्या 2023/174 (काउंटर क्लेम) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 यथावत रखी जाती है।

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि विभाजन प्रस्ताव की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में पटवारी द्वारा तैयार किया गया और पटवारी द्वारा तैयार किये गये इस बंटवारा प्रस्ताव बाबत अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता को सूचित किये बिना राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 को अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अवैधानिक विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 को पारित की है। अतः अपील अपीलांट विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 खारिज की जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर अपने पत्र दिनांक 02.03.2022 से तहसीलदार बारां को प्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार ने काउंटर हस्ताक्षर किये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, इससे प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से दिनांक 12.03.2022 की लोक अदालत के सन्दर्भ में प्रतिवादी अपीलांट को सूचना नोटिस जारी करने की पुष्टि नहीं होती। दिनांक 12.03.2022 की आदेशिका पर प्रतिवादी अपीलांट या उनके अधिवक्ता के उपस्थिति हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है, इससे भी प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जिसके कारण बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अतः राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना के अभाव में एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/173 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अंतिम डिक्री के निस्तारण हेतु इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बारां से नियम 18 से 21 की पालना में पुनः विधिवत रूप से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करें। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.06.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/04/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/172 (प्राथमिक डिक्री)

जानकी बाई पुत्री प्रताप, आयु 54 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां व हाल निवासी दुर्जनपुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
..... **अपीलांट**

बनाम

1. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल, आयु 44 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

..... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2023/174 (काउंटर क्लेम)

जानकी बाई पुत्री प्रताप, आयु 54 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां व हाल निवासी दुर्जनपुरा बारां, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
..... **अपीलांट**

1. भगवानलाल पुत्र कन्हैयालाल, आयु 44 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम रीठोद, तहसील बारां जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

.....**रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/172 (प्राथमिक डिक्री)**
एवं **2023/174 (काउंटर क्लेम)**
मु.द.नं0 **77/2009**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, बारां**
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक – **15.07.2021**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **26 माह 03** सन् **2025**

श्री **हरिओम चतुर्वेदी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **ओ. पी. मेहता** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध प्रस्तुत दोनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 2023/172 (प्राथमिक डिक्री) एवं अपील संख्या 2023/174 (काउंटर क्लेम) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2021 यथावत रखी जाती है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **21 माह 04 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)